5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

20 रु. COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

(50)

समक्ष माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

निग - 1562/7/16 प्रकरण क्र. ......../............/.........................

विषय :– अहस्तांतरणीय विलोपित किए जाने की अनुमति प्रदान करने बावत्।

आवेदकगण –

1. श्रीमती प्रेमवती बेवा स्व. भगवानदास डोम उम्र लगभग 61 वर्ष
2. संजय कुमार
3. विजय कुमार
4. मनोज कुमार
5. अजय कुमार
6. अशोक कुमार
7. राधाबाई
8. सरोज बाई क्र. 02 से 08 तक सभी के पिता स्व. भगवानदास डोम

सभी निवासी म.नं. 477 छोटी ओमती बिहारी महाराज के समीप जबलपुर (म.प्र.)

श्री ............ द्वारा आज दि. 20.5.16 को प्रस्तुत

विरुद्ध –

अनावेदक – म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, जबलपुर

**पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 के तहत्**

माननीय न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के प्रकरण क्र. **102/अ–21/2015–16** में पारित **अंतरिम आदेश** दि. 16/05/2016 से व्यथित होकर **म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत्** यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की जा रही है।

2- यह कि आवेदकगण 1. श्रीमती प्रेमवती पति स्व. भगवानदास डोम 2. संजय कुमार, 3. विजय कुमार 4. मनोज कुमार 5. अजय कुमार 6. अशोक कुमार 7. राधाबाई 8. सरोजबाई सभी के पिता स्व. भगवानदास डोम एवं सभी निवासी म.नं. 477 छोटी ओमती बिहारी महाराज के समीप जबलपुर (म.प्र.) के स्थाई निवासी है। आवेदक क्र. 01 के पति एवं आवेदक क्र. 2 से 8 के पिता स्व. भगवानदास डोम को मौजा ग्राम मड़ई न.ब. 691 प.ह.नं. 31 पौड़ीखुर्द रा.नि.मं. खितौला–01 तहसील सिहोरा जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. पुराना 157/168, नया 162 का रकबा 2.150 हेक्टेयर यानि 5 एकड़ 375 डिसमिल भूमि पट्टे पर प्राप्त हुई थी, प्राप्त दिनांक से राजस्व अभिलेखों में पिता का नाम दर्ज है, आवेदक के पति/पिता स्व. भगवानदास डोम की मृत्यु उपरांत फौती दुरुस्त होने से भूमि आवेदकगणों के नाम दर्ज की गई है।

3- प्रश्नाधीन भूमि आवेदकगण को शासन से प्राप्त हुये 10 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है। शासन के नियमानुसार जिस व्यक्ति को पट्टा प्राप्त हुये 10 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका हो, भूमिस्वामी हक प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार आवेदक को म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959



संजय कुमार सरोजबाई राधाबाई अजय अशोक कुमार विजय प्रेमवतीबाई मनोज कुमार

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1562/एक/2016

जिला–जबलपुर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही एवं आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 7-6-16 | प्रकरण का अवलोकन किया। यह पुनरीक्षण कलेक्टर जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 102/2–21/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 16.05.2016 से परिवेदित होकर म.प्र. भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत् पेश की गयी है। आलोच्य आदेश द्वारा कलेक्टर जबलपुर ने आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि से अहस्तांतरणीय शब्द हटाये जाने बावत् प्रस्तुत आवेदन को निरस्त किया है।<br><br>2– उभयपक्षो के विद्वान अधिवक्ताओ के तर्को पर विचार किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश तथा आवेदक की और से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया इस प्रकरण में यह निर्विवादित है, कि ग्राम मइई न.ब. 691 प.ह.न. 31 पौडीखुर्द रा.नि.म. खितौला 01 तहसील सिहोरा जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. पुराना 157/168 नया 162 का रकवा 2.150 है0 यानि 5 एकड़ 375 डिसमिल भूमि पट्टे पर प्राप्त हुयी थी। पट्टे प्राप्ति दिनांक से राजस्व अभिलेखों में आवेदक के पिता का नाम दर्ज है। आवेदक के पति/पिता स्व0 श्री भगवान दास डोम की मृत्यु उपरांत होती दुरुस्त होने से भूमि आवेदकगण के नाम दर्ज की गयी। आवेदकगण द्वारा उपरोक्त | |

भूमि पर अहस्तांतरणीय शब्द को पृथक किये जाने हेतु आवेदन पत्र पेश किये जाने पर प्रारंभ किया गया है। प्रकरण में कलेक्टर जिला जबलपुर द्वारा आदेश इस आधार पर पारित किया गया है कि आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत शीघ्र सुनवाई का आवेदन पत्र समाधानकारक नहीं मानकर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया। इसी आदेश के विरूद्ध यह पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया।

3- उभयपक्षों के अभिभाषकों द्वारा किये गये तर्को एवं अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक क्रमांक 1 के प्रति आवेदक क्रमांक 2 लगायत 8 के पिता भगवान दास डोम को मौजा ग्राम मइई न.ब. 691 प.ह.न. 31 पौडीखुर्द रा.नि.म. खितौला-01, तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. पुराना 157/168 नया 162 का रकवा 2.150 है0 यानि 5 एकड़ 375 डिसमिल का पट्टा करीब 30-35 वर्ष पूर्व सन् 1978-79 में अनुविभागीय अधिकारी, सिहोरा द्वारा भूमि अधिकारों का पट्टा प्रदान किया गया था। उपरोक्त प्रकरण में तहसीलदार सिहोरा द्वारा प्रकरण क्रमांक 21/अ-6-अ/ 2015-16 में प्रस्तुत जॉच प्रतिवेदन दिनांक 03.03.2016 एवं अनुविभागीय अधिकारी, सिहोरा द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 30.04. 2016 प्रस्तुत किये है जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त भूमि के खसरा कॉलम नं.12 कैफियत में "शासन से प्राप्त भूमि अहस्तांतरणीय शब्द" दर्ज है। उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि आवेदिका के पति भगवान दास वर्ष 1978-79 में अनुविभागीय अधिकारी, सिहोरा द्वारा भूमि अधिकारों का पट्टा प्रदान किया गया था, तब से आवेदिका द्वारा उक्त भूमि का लगान निरंतर जमा किया जा रहा है। भूमि में कास्तकारी भी की जाती है। आवेदिका के पति को शासन के नियमानुसार भूमि अधिकार पट्टा प्राप्त हुआ तथा आवेदिका द्वारा शासन के सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। प्रकरण में संलग्न खसरा

नकल प्रारूप-क क्षेत्र पुस्तक वर्ष 1989-90 एवं फार्म पी-2 वर्ष 2005-15 के अनुसार ग्राम मड़ई प.ह.न.31 तहसील सिहोरा स्थित खसरा नं. 162 रकबा 2.150 हैक्टेयर भूमि वर्ष 2007-08 तक भगवान दास बल्द बाबूलाल डोम के नाम दर्ज थी, उसके बाद उक्त भूमि प्रेमवती वैवा भगवान दास, संजय कुमार, विजय कुमार, मनोज कुमार, अजय कुमार, अशोक कुमार, राधाबाई, सरोजबाई बल्द श्री भगवान दास डोम के नाम दर्ज है। उपरोक्त प्रतिवेदन और स्थिति पर विचार किये बिना ही अनुविभागीय अधिकारी, सिहोरा द्वारा अपना प्रतिवेदन दिया है, वह वैधानिक वास्तविक स्थिति के अनुरूप नहीं है। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी, सिहोरा के प्रतिवेदन के आधार पर तथा तहसीलदार सिहोरा के प्रतिवेदन पर विचार किये बिना, जो आदेश कलेक्टर जिला जबलपुर द्वारा पारित किया गया है, वह स्थिर रखे जाने योग्य नही है, अतः निरस्त किया जाता है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा कलेक्टर जिला जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 102/अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 16.05.2016 अवैधानिक होने से निरस्त किया जाता है, तहसीलदार सिहोरा को यह निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण के नाम के सामने अंकित अहस्तांतरणीय शब्द (राजस्व अभिलेखो) खसरे आदि से विलोपित किया जाये ओर तद्नुसार राजस्व अभिलेख संशोधित किये जाये।

उभय पक्ष सूचित हो।

सदस्य